रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256835 CG-DL-E-02092024-256835

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3407]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946

No. 3407]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## अधिसुचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

का.आ. 3737(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 421(अ), तारीख 01 फरवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए मूल अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

- (i) अनुच्छेद (1) में, "केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों, उन सभी स्थानों पर जहां ये आते हों, के स्थान पर "केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड" शब्द रखे जाएंगें।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल-भाग(2)]

दीपक गोयल, वैज्ञानिक जी

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 421(अ), तारीख 01 फरवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

5596 GI/2024 (1)

# MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

- **S.O.** 3737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 421(E) dated 1<sup>st</sup> February, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) namely:—
  - (i) in paragraph (1), for the words "KFin Technologies Private Limited" at all the places where they occur, the words "KFin Technologies Limited" shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL-Part(2)] DEEPAK GOEL, SCIENTIST G

**Note.**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 421(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2024.